प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण थाना ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.सं........93/2023........ दिनांक........26/4/2023........

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7
(2) अधिनियम ....–............भा.द.स........–................धारायें.............. –..........................
(3) अधिनियम ....–...............................धारायें..........................–...............
(4) अन्य अधिनियम व धाराये....................................–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....473........समय........5:00 P.M.........................
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 31.01.2023 समय 3.30 पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 31.01.2023 समय 3.30 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व, करीब 80 कि0मी0
(ब) पता :– पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण।
....बीट सख्या.................–....................जरायमदेही सं...–......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–..............................जिला...............–...........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– चेलाराम
(ब) पिता का नाम : श्री मादाराम
(स) जन्म तिथि : 50 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या....................–..जारी होने की तिथि ...–...........
जारी होने की जगह ....–..
(र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
(ल) पता :– निवासी भंनगो की ढाणी भोपालगढ तह. भोपालगढ जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री महिपालराम विश्नोई पुत्र श्री बीरबल राम जाति विश्नोई निवासी मु.पो. भेड़, तहसील खिवंसर जिला नागौर हाल हैड कानि 133 पुलिस थाना भोपालगढ, जोधपुर ग्रामीण

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि ....50,000/– रूपये...

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवा में,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर–ग्रामीण।

विषय – रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं चेलाराम पुत्र मादाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी भोपालगढ भंनगो की ढाणी जिला जोधपुर का निवेदन है कि मेरे साथ मेरे गांव के रहने वाले माहवीर, कुम्भाराम व अन्य जनो ने मेरे साथ मारपीट की जिसका मुकदमा भोपालगढ थाने में दर्ज है जिसकी एफ.आई.आर. नं. 09 है जिसका अनुसंधान महिपाल डुडी कर रहा है मेरे मुकदमे करवाने के बाद विरोधी पक्ष में मेरे वा मेरे पुत्र पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है मुकदमा नं. मुझे पता नहीं है, महिपाल ने मुझे बोला कि तुम्हारे वा तुम्हारे पुत्र सुरेन्द्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, मुझे पचास हजार रूपये दो नही तो मै तुम्हारे खिलाफ 307 कि धारा लगा दुंगा मैने डर के कारण पचीस हजार रूपये महिपाल डुडी को दे दिये है और अब पचीस हजार रूपयो कि और मांग कर रहा है मैं महिपाल डुडी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं उसे रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी महिपाल से कोई लेनदेन नहीं है। मेरे आधार कार्ड व एफआईआर की फोटो प्रति संलग्न है।

भवदीय
चेलाराम
चेलाराम पुत्र मादाराम
भंनगो की ढाणी भोपालगढ
मो.न. 7877414121

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 31.01.2023 को वक्त 3.30 पी.एम. पर रिपोर्ट परिवादी श्री चेलाराम पुत्र मादाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी भंनगो की ढाणी भोपालगढ तह. भोपालगढ जिला जोधपुर ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि मेरे साथ मेरे गांव के रहने वाले माहवीर, कुम्भाराम व अन्य लोगो ने मेरे साथ मारपीट की जिसका मुकदमा पुलिस थाना भोपालगढ में दर्ज है जिसकी एफ.आई.आर. नं. 09 है जिसका अनुसंधान श्री महिपाल डुडी हैड कानि. पुलिस थाना भोपालगढ कर रहा है मेरे द्वारा मुकदमा करवाने के बाद मेरे विरोधी पक्ष ने मेरे व मेरे पुत्र पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है जिसका मुकदमा नं. मुझे पता नहीं है, श्री महिपाल हैड कानि. ने मुझे बोला कि तुम्हारे व तुम्हारे पुत्र सुरेन्द्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें अनुसंधान की एवज में मुझे पचास हजार रूपये दे दो नही तो मै तुम्हारे खिलाफ धारा 307 लगा दुंगा मैने डर के कारण पचीस हजार रूपये श्री महिपाल डुडी हैड कानि. पुलिस थाना भोपालगढ को दे दिये है और अब पचीस हजार रूपयो कि और मांग कर रहा है मैं श्री महिपाल डुडी हैड कानि को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी श्री महिपाल डुडी हैड कानि. से कोई लेनदेन नहीं है। परिवादी श्री चेलाराम द्वारा अपना आधार कार्ड एवं पुलिस थाना भोपालगढ में दर्ज प्रकरण सं0 09./2023 की प्रथम सूचना सूचना की प्रति प्रस्तुत की। जिसे शामिल परिवाद किया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाता है। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर वक्त 4.00 पी.एम.पर कार्यालय के श्री अमरसिंह कानि. 415 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कानि. श्री अमरसिंह का परिवादी श्री चेलाराम से परिचय करवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी

से निकालकर परिवादी श्री चेलाराम एवं श्री अमरसिंह कानि. को डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया जाकर वक्त 4.15 पी.एम.पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकाल कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे नया मेमोरी कार्ड डालकर कानि0 श्री अमरसिंह को सुपुर्द कर श्री अमरसिंह को हिदायत दी गई कि पुलिस थाना भोपालगढ से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री चेलाराम को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु भोपालगढ के लिये रवाना किया गया। वक्त 11.30 पी.एम. को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि. श्री अमरसिंह ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि मै परिवादी के साथ कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना भोपालगढ से थोड़ा पहले पहुंच संदिग्ध श्री महीपालराम हैड कानि0 की उपस्थिति सूनिश्चित करने के लिये परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध श्री महीपालराम हैड कानि0 के मोबाईल पर परिवादी द्वारा वार्ता करने पर संदिग्ध द्वारा बताया कि वह थाना क्षेत्र में गस्त पर होकर रात्रि करीब 9.30–10.00 बजे के आस पास थाना पर पर पहुंचने के बाद महादेव मार्केट में दुध की दुकान पर मिलने बाबत बताया जाने पर मैं व परिवादी श्री चेलराम थाना परिसर के पास ही गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए भोपालगढ में ही मुकिम रहे तथा रात्रि 10.00 पीएम के बाद मैने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री चेलाराम के पहने हुए कमीज की उपर की बांयी जेब में रखा जाकर परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु महादेव मार्केट की तरफ पैदल ही रवाना किया गया तथा मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुए महादेव मार्केट भोपालगढ में ही गोपनीय रूप से खड़ा रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री चेलाराम पैदल चलकर ही मेरे पास उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्ड मुझे पेश किया, जिसे मैने स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा है। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री महिपाल डुडी हैड कानि. से रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री अमरसिंह को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री चेलाराम को आईन्दा मेरे निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय जोधुपर ग्रामीण में पहुंचने हेतु पाबन्द कर स्वयं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया जाने पर कानि. श्री अमरसिंह द्वारा रात्रि में जोधपुर पहुंचने में असर्मथता जाहिर करने पर कानि. श्री अमरसिंह को रात्रि विश्राम भोपालगढ में ही सुरक्षित स्थान पर करने एवं कल दिनांक 01.02.2023 को सुबह कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 01.02 2023 को वक्त 9.15 ए.एम. पर रिश्वति राशि मांग सत्यापन हेतु गया कानि0 श्री अमरसिंह कार्यालय मे उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालात में पेश कर उपरोक्त हालात पुनः दोहराये गये। इस कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री चेलाराम व श्री महिपाल डुडी हैड कानि. के बीच हुई वार्तालाप को सुनने से पाया गया कि रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में 25,000/– रूपये प्राप्त करने एवं 20,000/– रूपये रिश्वति राशि की ओर मांग किये जाने की पुष्टि हुई है। आईन्दा परिवादी व स्वतंन्त्र गवाहान के रूबरू उक्त वार्तालाप का फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया। वक्त 3.33 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चेलाराम के मोबाईल नम्बर 7877414121 पर वार्ता कर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000/– रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 02.02.2023 को वक्त 9.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। दिनांक 02.02.2023 को को वक्त 10.00 पी. एम पर पुर्व में पाबन्द शुदा परिवादी श्री चेलाराम पुत्र मादाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी भंनगो की ढाणी भोपालगढ तह. भोपालगढ जिला जोधपुर आरोपी को दी जाने वाली 20,000/– रिश्वत राशि सहित उपस्थित कार्यालय आया। वक्त 10.30 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) भू–विज्ञान विभाग जोधपुर के नाम तेहरीर जारी कर श्री ताराचन्द हैड कानि0 112 को सुपर्द कर स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 12.30 पी.एम पर श्री ताराचन्द हैड कानि. एवं दो स्वतंत्र गवाहान हाजिर आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय लिया गया तो उन्होने कमशः अपना नाम श्री सन्तोष कुमार व्यास पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण जी व्यास उम्र 57 साल जाति ब्राहम्ण निवासी 17 ई 734 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर मोबाईल नम्बर 9929061504 एवं श्री रईस कुमार पुत्र देवाराम जी उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी गांव गुंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल निवास एच–5/16 सरदार पटेल कॉलोनी जोधपुर हाल निजी सहायक , कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर मोबाईल नम्बर 9462640062 होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर वक्त 12.40 पी.एम पर पूर्व

से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री चेलाराम एवं कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वंतन्त्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री चेलाराम द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का दोनो स्वंतन्त्र गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री महिपाल डुडी हैड कानि. एवं परिवादी श्री चेलाराम के मध्य दिनांक 31.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध मे हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिर्काड हैं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो आरोपी द्वारा परिवादी से 25,000/- रू0 रिश्वती राशि पूर्व मे प्राप्त करना एवं 20,000/- रूपये रिश्वती राशि की और मांग करने की पृष्टि हुई। दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा परिवादी श्री चेलाराम से परिवाद में अंकित तथ्यो व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। वक्त 12.50 पी.एम. पर परिवादी श्री चेलाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री चेलाराम एवं आरोपी श्री महीपालराम हैड कानि0 के मध्य हुई रिश्वती राशि की वक्त मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 31.01.2023 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरू की गई। वक्त 01.55 पी.एम. पर परिवादी श्री चेलाराम एवं आरोपी श्री महीपालराम हैड कानि0 के मध्य दिनांक 31.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से एक सीडी तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली मे सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड मैमोरी कार्ड का पैकेट एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री चेलाराम ने रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले 20,000/-रू 500-500 रू. के कुल 40 नोट प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। सभी नोटो पर कार्यालय के मालखाना से श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री सन्तोष कुमार व्यास से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिकिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत मे काम लिया गया ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी मे रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय मे रहने की हिदायत की गई। पुराना अखबार जिस पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उसके रूबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 02.50 पी.एम. पर कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया। वक्त 03.10 पी.एम. पर मन् श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सन्तोष कुमार व्यास, श्री रईस कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायकएवं परिवादी श्री चेलाराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप

सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि. 587 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से भोपालगढ जिला जोधपुर की तरफ रवाना होकर वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सन्तोष कुमार व्यास, श्री रईस कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110 श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री चेलाराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि. 587 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवानाशुदा भोपालगढ से सोपड़ा रोड़ स्थित औधोगिक क्षेत्र पहुंच वाहनों को गोपनीय रूप से खड़ा कर मुकिम हो वक्त 05.20 पी.एम. पर मन् श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र मौतबिरान के संदिग्ध श्री महिपाल राम हैड कानि0 की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये परिवादी के मोबईल से संदिग्ध के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाने बाबत कॉल लगाया गया, परन्तु संदिगध से मोबाईल पर सम्पर्क नहीं होने पर वक्तः 07.40 पी.एम. पर रूबरू स्वतन्त्र मौतबिरान के संदिग्ध श्री महिपाल राम हैड कानि0 की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाने बाबत कई बार कॉल लगाया गया, परन्तु संदिग्ध से मोबाईल पर सम्पर्क नहीं होने के कारण आज दिनांक को रिश्वती राशि का आदान प्रदान सम्भव नहीं होने से ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जाकर आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द की रिश्वती राशि स्वतंन्त्र गवाह श्री रईस कुमार से परिवादी की जेब से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर स्वतंन्त्र गवाह श्री रईस कुमार को सुपुर्द की गई तथा परिवादी को हिदायत की गई कि आईन्दा संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराऐं तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बताये गये स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द कर अपने निवास स्थान के लिए रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सन्तोष कुमार व्यास, श्री रईस कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि. 587 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से औधोगिक क्षेत्र भोपालगढ से एसीबी जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना होकर वक्तः 10.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सन्तोष कुमार व्यास, श्री रईस कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि. 587 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहान से औधोगिक क्षेत्र भोपालगढ से एसीबी जोधपुर ग्रामीण पहुंच स्वतंन्त्र गवाह श्री रईस कुमार को सुपुर्द की गई रिश्वति राशि सफेद अखबार में लपेटी हुई अवस्था में ही श्री रईस कुमार स्वतंन्त्र गवाह से कार्यालय की सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी लॉक कर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी गई एवं स्वतंन्त गवाहान को आईन्दा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब करने पर तुरन्त कार्यालय पहुंचने के हिदायत कर रवाना किया गया गया। दिनांक 27.02.2023 को वक्तः 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री चेला राम कार्यालय उपस्थित हो एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा श्री महिपाल राम डुडी हैड कानि. पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण से सम्पर्क करने की कोशिश की गई परन्तु मेरा उनसे सम्पर्क नही हो सका। मेरी जानकारी अनुसार श्री महिपाल राम को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई या उससे किसी प्रकार का शक हो गया है। अब वह मेरे से रिश्वती राशि नही लेगा उसे रंगे हाथो पकड़ा जाना सम्भव नही है। मेरे द्वारा दी गई रिश्वती राशि के रूप में प्रस्तुत की गई 20000 रूपये लौटाने की कृपा करावे। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। हालात उच्चाधिकारियें को निवेदन किये जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी जाकर वक्तः 03.15 पी.एम. पर तलबशुदा स्वंतत्र गवाह श्री सन्तोष कुमार व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री रईस कुमार निजी सहायक कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) भू–विज्ञान विभाग जोधपुर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर कार्यालय की अलमारी में पूर्व से स्वतंत्र गवाह श्री रईस कुमार से रखवाई रिश्वती राशि 20,000/– रूपये सफेद पेपर में लिपटी हुई निकलवाई

जाकर गवाह श्री रईस कुमार से नोटो पर लगाया गया फिनोथफ्लीन पाउडर झटकवाया जाकर 20,000/- रिश्वती राशि रूबरू गवाहान श्री चैला राम को सुपुर्द की जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली करते हुए दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संदिग्ध का अधिकारी का नाम महिपाल डूडी अंकित किया गया है परन्तु श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के पत्रांक 2214 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा प्राप्त आरोपी के सेवा विवरण अनुसार आरोपी का सेवा रिकार्ड अनुसार नाम श्री महिपालराम विश्नोई होने से प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम श्री महिपालराम विश्नोई का अंकन किया गया है।

आरोपी श्री महिपालराम विश्नोई हैड कानि.133, पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री चेला राम के साथ हुई मारपीट का मुकदमा पुलिस थाना भोपालगढ में दर्ज होकर उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री महिपाल राम विश्नोइ हैड कानि. पुलिस थाना भोपालगढ द्वारा करना एवं परिवादी द्वारा दर्ज करवाये प्रकरण में मदद करने की एवज में आरोपी द्वारा 25,000/- रूपये पूर्व में प्राप्त करना एवं 20,000/- रूपये वक्त सत्यापन मांग करना पाया गया है। इस तरह श्री महिपालराम विश्नोई हैड कानि.133, पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री महिपालराम विश्नोई पुत्र श्री बीरबल राम जाति विश्नोई निवासी मु.पो. [illegible] तहसील खिवंसर जिला नागौर हाल हैड कानि 133 पुलिस थाना भोपालगढ, जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(अनु चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री महिपालराम विश्नोई, हैड कानि. नम्बर 133, पुलिस थाना भोपालगढ, जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 93/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 732-35 दिनांक 26.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला जोधपुर ग्रामीण।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

26.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर